अरविन्द कुमार

FIVE RUPEES

अरविन्द कुमार

FIVE RUPEES

अरविन्द कुमार

अरविन्द कुमार

2395

29/1/13

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
22-1-13	28-1-13	31-1-13	31-1-13

नकल आदेश दिनांक 18-1-13 न्याया. तहसीलदार
[illegible] खसरा नं 126/1292 रकबा
34 [illegible] मौजा [illegible]
[illegible]

सुदामा देवी बनाम मैया देवी

तारीख 18-1-13

(२)

न्यायालय तहसीलदार/न्यायिक सदर, वाराणसी।

मु0नं0- ~~1382~~ 126 वर्ष- 2011।

धारा- 34 भू-राजस्व अधिनियम
मौजा- छेमली परगना कसवार राजा
तहसील सदर जिला वाराणसी।

सुदामा देवी बनाम मंजरा देवी

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत नामान्तरण वाद मेहदपत की हस्तान्तरण रिपोर्ट जो पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र संख्या-2840 दिनांक 7-9-11 पर आधारित है। वाद पंजीकृत कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया जो वाद हाजिला संलग्न पत्रावली है। श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्याम निवासी मौजा छेमली परगना कसवार राजा वाराणसी द्वारा दिनांक 21-3-12 को आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि विक्रेती मंजरा देवी को प्रस्तुत बैनामा करने का कोई हक नहीं था। और न ही क्रेती सुदामा देवी को कोई हक हासिल हुआ। कथित बैनामा दिनांक 7-9-11 के आधार पर क्रेती का हरगिज कब्जा दखल नहीं है। आराजी निजाई की मालकिन उसकी नानी सुखा देवी थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में हक हम आपत्तिकर्ता के हक में वसीयतनामा अपंजीकृत दिनांक 13-5-91 को तहरीर कर दिया और सुखा देवी की मृत्यु के बाद नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसे निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नामान्तरण वाद निरस्त किया जाय।

क्रेती सुदामा देवी ने प्रति आपत्ति प्रस्तुत कर कहा है कि सुखा देवी के मृत्यु के बाद मकान। नं0 कलावती देवी का नाम दर्ज हुआ काफी दिनों के बाद भी कोई आपत्ति नहीं की गयी और वह आदेश अन्तिम है। कलावती देवी ने मंजरा देवी को बैनामा कर दिया और क्रेती का कब्जा दखल करा दिया और मंजरा देवी ने मुझ क्रेती को बैनामा करके कब्जा दखल करा दिया है। आपत्तिकर्ता की वसीयतनामे मंजरा देवी के नामान्तरण वाद में ही निरस्त हो चुकी है इस तथ्य को छिपाया गया है। अतः आपत्ति निरस्त कर नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

वादिनी की ओर से साक्ष्य में मूल बैनामा, उद्धरण खतौनी, नकल वसीयतनामे प्रार्थना पत्र मंजरा देवी बनाम कलावती देवी, नकल हलफनामा, नकल आदेश दिनांक 10-3-08 की छाया प्रतियां प्रस्तुत किया गया तथा हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के व लिखित तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेती मंजरा देवी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है जिसने प्रस्तुत बैनामा किया है। आपत्तिकर्ता का कथन है कि यह सम्पत्ति सुखा देवी जो उसकी नानी

श्री के उन्होंने आंशिक वसीयतनामा उनके पक्ष में किया है जिसके संबंध अपील अभी भी विचाराधीन है। धारा 34 भू-राजस्व अधि0 के अन्तर्गत मात्र बैनामा के आधार पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता के नाम का नामान्तरण किया जाता है। स्वत्व संबंधी प्रकरण निस्तारण का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। चूँकि विक्रेती का नाम खतौनी में अंकित है और साक्ष्यों के अवलोकन से जरिये बैनामा क्रेती के कब्जे की पुष्टि होती है। अतएव आपत्तिकर्ता की आपत्ति बलहीन प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आपत्तिकर्ता राजकुमार की आपत्ति दिनांकित 21-5-12 निरस्त किया जाता है। मौजा खेवली परगना कसवार राजा तहसील सदर, जिला वाराणसी की खतौनी वर्ष 1413-1418फ0 के खाता संख्या 28 आ0नं0 139 रकबा ~~[illegible]~~ [illegible] सम्पूर्ण लगान सरकारी खाता से विक्रेती श्याम देवी पत्नी श्यामनारायण मौर्य नि0 एस0 15/83 [illegible] वाराणसी का नाम निरस्त करके क्रेती सुदामा देवी पत्नी रामचन्द्र मौर्य नि0 [illegible] बारईं परगना कसवार राजा वाराणसी का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/1/13

तहसीलदार/न्यायिक सदर,
वाराणसी।

रजि नं 01
पृष्ठ 88
क्रमांक 304 दर्ज
19-1-13

सत्य प्रतिलिपि
वाराणसी
18/1/13

1986
12/10/20

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिए जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
12.10.2020	09.12.2020	9/12/20	9/12/20

नकल आदेश दिनांक- 19.09.15

[illegible]

ता॰ 19.09.15

न्यायालय उप जिलाधिकारी, राजातालाब वाराणसी।

वाद संख्या– 23/टी.20151470033178 सन् 2015

जमुना प्रसाद मौर्य ———— बनाम ———— सरकार।

अन्तर्गत धारा– 143 भू0 राजस्व अधिनियम। ग्राम

ग्राम– खेवली परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी।

निर्णय

प्रस्तुत वाद जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खेवली वाराणसी जरिए प्रबन्धक, मनोज कुमार पुत्र रामचन्दर मौर्य निवासी ग्राम सुईचक परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी द्वारा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि आराजी नम्बर 139 रकबा 0–750.29/100 हे0 स्थित मौजा खेवली परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी विद्यालय संचालन हेतु क्रय करके विद्यालय भवन एवं परिसर स्थापित कर दिया है। इसके पूर्व भी प्रश्नगत आराजी नम्बर 139 में रकबा 0–316 हे0 जरिए बैनामा हासिल करके विद्यालय संचालित किया जा रहा है और उक्त रकबा 0–316 हे0 उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा वाद संख्या– 90 सन् 2013 अन्तर्गत धारा– 133 जेड0ए0ऐक्ट के तहत् आदेश दिनांक 08–05–2013 द्वारा अकृषक भूमि घोषित किया जा चुका है। उक्त आराजी में पूर्व अजित रकबा 0–316 हे0 एवं पश्चात्वर्ती अर्जित रकबा 0.750–29/100 हे0 यानी 0.750–1/3 हे0 यानी सम्पूर्ण रकबा 1–066–1/3 हे0 एक ही परिसर के रूप में कायम करके विद्यालय संचालित किया जा रहा है और सम्पूर्ण रकबा गैरकृषक हो चुका है। प्रश्नगत रकबे पर विगत 3 वर्ष से अधिक समय से कृषि कार्य नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 139 रकबा 0.750–1/3 हे0 स्थित ग्राम खेवली परगना कसवार राजा वाराणसी को कृषि कार्य से भिन्न अकृषक भूमि घोषित किए जाने की प्रार्थना किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष में तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी की आख्या दिनांक 24–04–2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 139 रकबा 0–0.750–29/100 हे0 स्थित मौजा खेवली परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी प्रार्थी के नाम अंकित है। उक्त आराजी मिट्टी पाट कर मैदान के रूप में परती है, जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है।प्रार्थी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में उद्धरण खतौनी वर्ष 1419–1424 फ0 के खाता संख्या– 00039 व छायाप्रति नकल बैनामा, एक किता छायाप्रति खतौनी 1401–1406 फ0 खाता संख्या– 187, नकल जो0सच03आ0पत्र 41, 45 व नकल छायाप्रति 23 भाग–1, दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक का मौखिक साक्ष्य अंकित कराया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष में मैंने वादी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधि सम्यक् परिशीलन् किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 139 रकबा 0–750–29/100 हे0 आबादी का स्वरूप धारण कर चुका है, कृषिक उपयोग में नहीं है। ऐसी दशा में आराजी नम्बर 139 रकबा 0–0–750–29/100 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई बैधानिक अवरोध प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः एतद्द्वारा आराजी नम्बर 139 रकबा 0–750.29/100 हे0 स्थित मौजा खेवली परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब, जिला–वाराणसी जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खेवली वाराणसी के खाते में अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, गंगापुर, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अभय कुमार पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी(राजातालाब),
वाराणसी।
19.09.2015

सत्य प्रतिलिपि